210

1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी निग - 403 - I-16

श्री विनोद श्रीवास्तव एड.
द्वारा आज दि. 29-1-2016 को
प्रस्तुत

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
29/1/16

1. नथियाबाई पत्नी बेबा लच्छू अहिरवार , निवासी कजरी मडवासा तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.
2. भमरीबाई पुत्री श्री लच्छू अहिरवार निवासी कजरी मडवासा तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

.... आवेदकगण

बनाम

1. जालम सिंह पुत्र श्री मूलचन्द्र निवासी ग्राम कजरी मडवासा हाल निवासी गंजबासौदा जिला विदिशा म.प्र.

.... अनावेदक

2. घसीटीबाई पुत्री फिन्ता
3. हल्कीबाई पुत्री फिन्ता

   निवासीगण – ग्राम मन्नखेडा तहसील नटैरन जिला विदिशा (म.प्र.)
4. पूरन पुत्र फिन्ता अहिरवार निवासी ग्राम कजरी मडवासा तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.
5. समरथ पुत्र खुमान सिंह निवासी ग्राम कजरी मडवासा तहसील सिरोंज
6. सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल निवासी घटवार तहसील सिरोंज जिला विदिशा
7. राजमल पुत्र अयोध्याप्रसाद
8. लखनलाल पुत्र अध्योध्याप्रसाद

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 403/ I/2016 निगरानी जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-10-2016	आवेदिकागण की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव उपस्थित, अनावेदक की ओर से अधिवक्ता सूश्री चित्रा सक्सेना उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज, जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 68/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 12-1-2016 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता-1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि, भूमि सर्वे कमांक 153 रकवा 2.099 हैक्टर भूमि सहभूमि स्वामी स्वत्व की होकर, ग्राम कजरी मडवासा तहसील सिरोंज मे स्थित है उक्त भूमि के पूर्व भूमि स्वामी नथिया विधवा लच्छू, भमरिया, गुडडीबाई पुत्रीगण लच्छू थे। गुडडीबाई के फौत हो जाने के पश्चात् नायब तहसीलदार मण्डल 5 सिरोंज द्वारा गुडडीबाई की वैध उत्तराधिकारी मॉ-बहिन आवेदिकागण का नामान्तरण पंजी कमांक-2 आदेश दिनांक 28.11.1988 को नामान्तरण स्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक -1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज के समक्ष 25 - 26 वर्ष वाद अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 68/अपील/2011-12 पर दर्ज की जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक	

12–1–2016 पारित कर विलम्व छमा करते हुये उक्त अपील को समय सीमा में मान्य किया गया है। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एंव अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण नायब तहसीलदार सिरोंज की नामान्तरण पंजी कमांक–2 आदेश दिनांक 28–11–1988 से प्रारंभ हुआ जिसमें विवाद ग्राम कजरी मडवासा की विवादित आराजी से संबंधित है। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक–1 द्वारा स्वंय को मृतिका गुडडीबाई का पुत्र बताते हुये अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 25–26 वर्ष के विलम्व से अपील प्रस्तुत की गई है जिसके साथ धारा–5 अवधि विधान के आवेदन पत्र में प्रत्येक दिन के विलम्व का पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया, अनावेदक कमांक–1 द्वारा नामान्तरण आदेश की जानकारी ग्राम वासियों से दिनांक 20–1–2013 को होना दर्शाया गया है, तथा अनावेदक कमांक–1 द्वारा अपने आप को मृतिका गुडडीबाई का पुत्र बताते हुये नामान्तरण के समय 2 वर्ष का लेख किया गया है जवकि अनावेदक कमांक–1 की आयु 25 वर्ष थी अनावेदक 7 वर्ष पूर्व बालिग हो चुका था इन 7 वर्षो में अनावेदक ने उक्त नामान्तरण आदेश के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। और वैसे भी अनावेदक कमांक–1 ने अपने आप को गुडडीबाई का पुत्र सावित नहीं किया है। अनावेदक कमांक–1 ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आदेश दिनांक 6–11–1989 को चुनौती दी है परन्तु दिनांक 6–11–1989 का कोई आदेश

ही नहीं है। इन सभी तथ्यों पर विचार किये बगैर अनुविभगीय अधिकारी ने विधि विरूद्ध तरीके से आदेश दिनाक 12–1–2016 को अनावेदक कमांक–1 की अपील में विलम्व छमा किया जाकर, अपील समय सीमा में मान्य की है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज द्वारा पारित आदेश किसी भी दृष्टि से स्थिर रखे जाने येाग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर, अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज द्वारा प्रकरण क्रमांक 68/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 12.1.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर, नायब तहसीलदार, सिरोंज की नामान्तरण पंजी कमांक–2 आदेश दिनांक 28–11–1988 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर